Ll.b.
2semester
Legal history.

1772 B

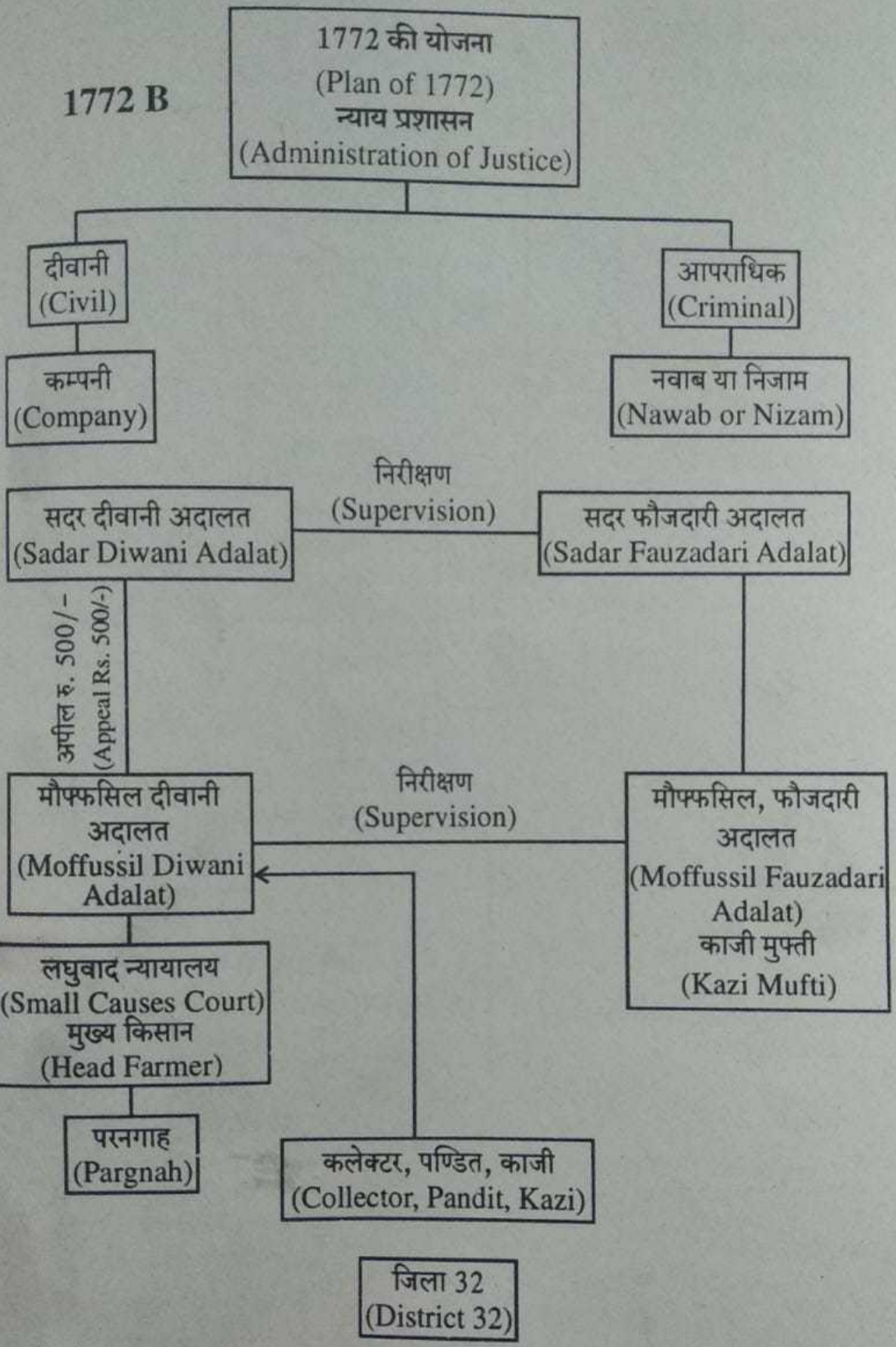
1772 की योजना
(Plan of 1772)
न्याय प्रशासन
(Administration of Justice)
दीवानी
(Civil)
आपराधिक
(Criminal)
कम्पनी
(Company)
नवाब या निजाम
(Nawab or Nizam)
निरीक्षण
(Supervision)
सदर दीवानी अदालत
(Sadar Diwani Adalat)
सदर फौजदारी अदालत
(Sadar Fauzadari Adalat)
अपील रु. 500/-
(Appeal Rs. 500/-)
निरीक्षण
(Supervision)
मौफ्फसिल दीवानी अदालत
(Moffussil Diwani Adalat)
मौफ्फसिल, फौजदारी अदालत
(Moffussil Fauzadari Adalat)
काजी मुफ्ती
(Kazi Mufti)
लघुवाद न्यायालय
(Small Causes Court)
मुख्य किसान
(Head Farmer)
परनगाह
(Pargnah)
कलेक्टर, पण्डित, काजी
(Collector, Pandit, Kazi)
जिला 32
(District 32)

सन् 1772 की योजना की समालोचना

वारेन हैस्टिंग्स ने 1772 की योजना के द्वारा स्वच्छ, सरल, निष्पक्ष एवं कम खर्चीली न्याय प्रशासन की स्थापना करने की कोशिश की। इस योजना के अन्तर्गत दीवानी एवं आपराधिक न्याय प्रशासन में अन्तर बनाये रखा गया।

गुण—1. इस योजना के द्वारा देशी भारतीयों के व्यक्तिगत विधियों को सुरक्षा प्रदान की गई। हिन्दुओं के वादों को धर्मशास्त्रों के नियमों के अनुसार तथा मुसलमानों के वादों को कुरान के नियमों के अनुसार निर्णीत किया जाता था। इस तरह हिन्दू और मुसलमान दोनों के साथ समान व्यवहार किया गया।

2. बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा क्षेत्र को न्याय प्रशासन एवं राजस्व वसूली के लिए छोटी-छोटी इकाई जिलों में विभक्त किया गया।

3. 10 मील की परिधि के अन्तर्गत लघुवाद न्यायालयों की व्यवस्था 10 रु. मूल्य के वादों के लिए की गई। जिससे जनता को न्याय पाने के लिए दूर नहीं जाना पड़े।

4. हिन्दू तथा मुस्लिम विधि की व्यवस्था के लिए भारतीय विधि अधिकारी पंडित एवं काजी की नियुक्ति की गई।

5. न्यायालयों के लिए कमीशन के स्थान पर फीस निर्धारित की गई।

6. डकैती के उन्मूलन के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया।

दोष—सन् 1772 की योजना में कई कमियाँ एवं दोष भी मौजूद थे जिसका ज्ञान वारेन हैस्टिंग्स को भी था और इसलिए उसने इन्हें दूर करने के लिए सन् 1774 में दूसरी योजना लागू की थी।

1. इस योजना के द्वारा स्थापित लघुवाद न्यायालयों की संख्या कम थी। यातायात के अभाव में जनता को जिले तक पहुँच कर न्याय प्राप्त करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।

2. सबसे मुख्य दोष इस योजना का कलेक्टर के हाथों में नियन्त्रित शक्तियाँ थी जिससे वह निरंकुश शासक बनने लग गया था। वह जिले का राजस्व एकत्रित करता था, न्याय करता था, फौजदारी अदालतों पर निगरानी रखता था और साथ ही साथ अपना व्यक्तिगत व्यापार भी करता था। न्याय की अपेक्षा राजस्व वसूली को अधिक महत्व देता था।

3. न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के कार्यों का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक अधिकारों का दुरुपयोग करता था।

4. व्यक्तिगत विधि का प्रयोग कुछ मामलों में ही किया जाता था। जैसे उत्तराधिकार, विवाह, जाति, धर्म सम्बन्धित, रीति-रिवाज के वाद व्यक्तिगत विधि द्वारा निर्णीत होते थे अत: इस विधि का प्रयोग सीमित था।

5. हिन्दू और मुसलमानों के दीवानी वादों में शास्त्रों और कुरान की ही सहायता ली जाती थी। परन्तु इनकी व्यक्तिगत विधि-सिर्फ शास्त्रों या कुरान तक ही सीमित नहीं थी।

6. सन् 1772 की योजना भ्रमपूर्ण धारणा पर आधारित थी कि भारत में केवल दो ही प्रकार के धर्मावलम्बी थे। यहां यहूदी फ्रांसीसी, आर्मेनियन, पुर्तगाली आदि भी दीवानी क्षेत्र में रहते थे उनके लिए किसी विधि का उल्लेख नहीं किया गया था।

7. वारेन हैस्टिंग्स ने इस योजना के अन्तर्गत गैर मुसलमानों (हिन्दुओं) को स्पष्ट करने के लिए जेन्टू शब्द का प्रयोग किया था जिसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई थी। जेन्ट या जेन्टू शब्द साधारण रूप में पशु के लिये प्रयोग किया जाता है। वारेन हैस्टिंग्स ने जेन्टू कोड की रचना की थी जो जिसमें दीवानी एवं दण्ड विधि का समायोजन था जो जेन्टू शब्द के कारण आलोचना का विषय रही।

उपरोक्त दोषों के कारण तथा सन् 1773 में रेग्यूलेटिंग अधिनियम के पारित होने से वारेन हैस्टिंग्स के लिए सन् 1772 की योजना में सुधार एवं संशोधन करना आवश्यक हो गया था। अत: 1774 में वारेन हैस्टिंग्स ने संशोधित योजना को लागू किया जिसे इसकी द्वितीय योजना के नाम से जाना जाता है।

सन् 1772 की योजना की आधारशिला मुगलकालीन न्याय व्यवस्था थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्व वसूली के लिए दीवानी न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सरल बनाना था। इसलिए इस योजना में केवल दीवानी न्याय प्रशासन ही सुचारू हो सका। आपराधिक न्याय प्रशासन नवाब के नियन्त्रण में था वारेन हैस्टिंग्स ने इस व्यवस्था में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। इस न्याय प्रशासन में वारेन हैस्टिंग्स के उत्तराधिकारी लार्ड कार्नवालिस ने 1790 में सुधार किये।